

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2019-20/

दिनांक:- 23/10/19

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
पंचायत समिति:- विराटनगर (जयपुर)

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

सन्दर्भ- सु. ब्लॉक वि. अ./ विराट/3573 dt. 11/11/19


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत लेखामद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (07)-निरीक्षण, [02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय- 04-चिकित्सा व्यय प्रतिबद्ध (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं	ऑफिस आई.डी.	जि.शि.अ./बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	1707	विराटनगर (जयपुर)	81176	श्री सुधाकर राव कनिष्ठ सहायक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति विराटनगर (जयपुर) के स्वयं के गंभीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	81176	

(अखरे रूपये इक्यासी हजार एक सौ छहत्तर मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (Fk-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।




मुख्य लेखाधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज  
(प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
- 3 सहायक लेखाधिकारी, अक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
- 4 संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
- 5 रक्षित पत्रावली।



मुख्य लेखाधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज  
(प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर